क्रम-संख्या—69(च)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020
बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग—2

संख्या 442 / ग्यारह-2—9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(115)-2020
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0—117

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2—177 / ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित हैं, और जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, किन्तु उक्त तालिका के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के उपबंधों के अनुसार संदेय विलम्ब शुल्क की रकम उस कर अवधि के लिए, अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि है, अर्थात्:—

तालिका

क्र0 सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो और 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है"।

2–यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 442/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(115)-2020, dated May 11 , 2020:

No. 442/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(115)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), *read* with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendment in the notification no. KA.NI.-2-177/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(03)-2019, dated January 22, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided also that the amount of late fee payble under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. no.	Class of registered persons	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020 ".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 67 राजपत्र–2020–(130)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 17 सा० राज्य कर–2020–(131)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

67 Rph rajya kar anu-2-2020 data7